



UPMH01-004659-2025

न्यायालय अपर ज़िला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, महाराजगंज।

उपस्थित-संजय मिश्र, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UPID-6257

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-51/2025

श्रीमती चानमती उम्र लगभग 79 वर्ष पत्नी स्व० महेश निवासी ग्राम मोगलहा, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील नौतनवा, पत्रालय भगीरथपुर, जनपद महाराजगंज ।

.....वादिनी/अपीलार्थिनी

बनाम

1- श्रीमती कुमारी देवी उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी श्रीराम

2- महेंदर चौधरी उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र श्रीराम

3- भीमशंकर चौधरी उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र श्रीराम

समस्त निवासी ग्राम मोगलहा, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील नौतनवा, पत्रालय भगीरथपुर, जनपद महाराजगंज।

....उत्तरदातागण प्रथम पक्ष

4- कृतराज उम्र लगभग वर्ष पुत्र स्व० चिरकुट

5- जयकरन उम्र लगभग 63 वर्ष पुत्र शंकर

6- विक्रम उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र शंकर

7- रामचन्द्र उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र नरेश

8- हरिप्रसाद उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र नरेश

9- नजीबुल्लाह उम्र लगभग 70 वर्ष पुत्र स्व० असगर

10- सजीबुल्लाह उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्र स्व० असगर

11- राम बहाल उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व० असगर

12- श्याम बहाल उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र पारस

13- द्वारिका उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व० हरीराम

14- श्रीमती तवारी देवी उम्र लगभग 70 वर्ष पत्नी स्व० हरीराम

15- रामअवध उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र स्व० पूर्णवासी

16- रामकेवल उम्र लगभग 62 वर्ष पुत्र स्व० पूर्णवासी

17- रामधन उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व० पूर्णवासी

18- लोहर उम्र लगभग 58 वर्ष पुत्र स्व० पूर्णवासी

19- रामदेव उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र स्व० पूर्णवासी

20- श्याम उम्र लगभग 54 वर्ष पुत्र स्व० पूर्णवासी

21- इंसाफ अली उम्र लगभग 75 वर्ष पुत्र स्व० रपील अहमद

22- श्रीमती कैलाशी देवी उम्र लगभग 80 वर्ष पत्नी स्व० जैकरन

23- रघुनाथ उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र स्व० बलिकरन

24- प्रभुनाथ उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र स्व० बलिकरन

25- शिवनाथ उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र स्व० बलिकरन

समस्त निवासी ग्राम मोगलहा, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील नौतनवा, पत्रालय भगीरथपुर, जनपद महाराजगंज

.....उत्तरदातागण द्वितीय पक्ष

26- सुग्रीव उम्र लगभग 49 वर्ष पुत्र स्व० महेश

27- सोमनाथ उम्र लगभग 41 वर्ष पुत्र स्व० महेश

28- भौमनाथ उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र स्व० महेश

समस्त निवासी ग्राम मोगलहा, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील नौतनवा, पत्रालय भगीरथपुर, जनपद महाराजगंज

.....उत्तरदातागण तृतीय पक्ष

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फरेन्दा, महाराजगंज के द्वारा मूलवाद संख्या-129/2024 में पारित आदेश दिनांकित 14.08.2025 के विरुद्ध मूलवाद की वादिनी के द्वारा संस्थित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र 6 ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 व धारा-151 जा.दी. को निरस्त कर दिया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थिनी/वादिनी ने यह अपील संस्थित की है।

2. मूलवाद में वादिनी (जो अपीलार्थिनी है) के द्वारा वादपत्र में कहे गये तथ्य संक्षेपतः इस प्रकार हैं-"विवादित भूमि भूखण्ड संख्या 586 क्षेत्रफल 0.951 हेक्टेयर का 0.0949 हेक्टेयर है जो महाराजगंज ज़िले की नौतनवा तहसील में, परगना हवेली में, तप्पा लेहड़ा में स्थित मोगलहा ग्राम में अवस्थित है। इसे वादपत्र के नक्शा नज़री में A, B, C, D, E, F से दिखाया गया है। वादीगण के पूर्वज महेश पुत्र तमैसर का उक्त में अंश 1/8 रहा, जिसे वादीगण ने उनसे उत्तराधिकार में प्राप्त किया तथा उसके स्वत्वधारी अध्यासीन हुए। पूर्वजों के समय में ही उक्त का अत्यान्तिक स्पष्ट बँटवारा हो गया था जिसमें वादीगण को 1/8 अंश यानी 0.1189 हे. प्राप्त हुआ। अपने उक्त अंश से वादी संख्या 1 ने 0.024 हेक्टेयर भूमि का विक्रय का दिया, शेष 0.0949 हेक्टेयर वादीगण के स्वत्व व अध्यासन में पूर्ववत रह गया। प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा सहखातेदार से बैनामा लिया गया है। अब वह वादीगण की सड़क के किनारे की भूमि पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसी से यह वाद हेतुक उत्पन्न हुआ।"

3. वादिनी ने अपने दावे के साथ प्रार्थनापत्र 6 ग वास्ते अन्तरिम व्यादेश प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थनापत्र में वादिनी ने कहा है कि "वादीगण ने दावा इम्तनाई प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष के खिलाफ बहुत ही ठोस व सारवान कथनों पर दाखिल किया है जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है प्रश्नगत आराजी सं. 586 मि. रकबा 0.95 हे. स्थित ग्राम मोगलहा तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली तहसील नौतनवां जिला महाराजगंज के वादीगण का 1/8 हक हिस्सा जिसमें से वादिनी संख्या-1 ने मात्र 0.024 हे. भूमि क्रय किया है। शेष भूमि को बहरूप ए. बी. सी. डी. इ. एफ. बरंग लाला नक्शा नजरी अजी दावा में दर्शित किया गया है जिसमें से एक इंच भूमि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष या अन्य किसी के हक में वय नहीं किया है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष काफी चालाक व मुकदमा बाज किस्म के व्यक्ति है वे जबरदस्ती हम वादीगण के हक हिस्सा की भूमि बहरूप ए. बी. सी. डी. इ. एफ. बरंग लाल नक्शा नजरी अजी दावा में कब्जा करके निर्माण करने की धमकी दे रहे हैं, जिसका उन्हें कोई हक हासिल नहीं है अगर वे अपने नापाक इरादा में कामयाब हो गये तो निश्चय ही वादीगण की सख्त अपूर्णीय क्षति होगी और दावा दाखिल करने का मंशा फौत कर जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को ता तसफीहा मुकदमा मना कर दिया जावे कि वे प्रश्नगत आराजी संख्या 586 मि. रकबा 0.0949 हे. जिसे नक्शा नजरी अजी दावा में बहरूप ए. बी. सी. डी. इ. एफ. बरंग लाल से दर्शित किया गया है में किसी किस्म की मजाहिमत वो मुदाखिलत न करे और न ही जबरदस्ती कब्जा करके किसी किस्म को कोई निर्माण करे और न ही वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में कोई व्यवधान डाले।"

4. प्रतिवादीगण की तरफ से उपरोक्त प्रार्थना पत्र-06 ग पर आपत्ति दाखिल कर कथन किया गया कि वादिनी ने हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिल्कुल असत्य कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया केस तथा सुविधा का सन्तुलन वादिनी के पक्ष में नहीं है बल्कि हम प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादिनी एक सरकस, मनबढ़ व मुकदमेबाज किस्म की महिला है वह मुकदमे के आड़ में हम प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के फिराक मे लगी है वरना वाद मे कोई सत्यता नहीं है। यदि वादिनी अपने मन्शा नाजायज मे सफल हो जाणा तो हम प्रतिवादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी दशा में वादिनी का इम्तनाई प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6 ग सव्यय खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः से प्रार्थना है कि वादिनी का इम्तनाई प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6 ग सव्यय खारिज किया जाय। सही मानचित्र प्रतिवाद पत्र के अन्त में दिया जा रहा है तिजसमें जमीन अक्षर क ख ग घ को विवादित भूमि की आराजी नम्बर 586 रकबा 0.951 हे0 के रूप मे दिखाया गया है। जमीन अक्षर क ख ग घ मे वादी व उनके सहखातेदारी की जमीन को भी दिखाया गया है। असल वाक्या यह है कि तीरथराज पुत्र चिरकुट व सवारी देवी पत्नी स्व० हरीराम के द्वारा विवादित भूमि अर्सा लगभग 10 वर्षपूर्व 09 डि भूमि जिसकी चौहददी

पूरब चानमती का खेत जो अब रूदल हरिहर द्वारा सज्जाद को बेचा गया पश्चिम कच्ची सड़क उत्तर जमीन रामअवध व दक्षिण चानमती, पुष्पावती का मकान स्थित है। इसी विक्रय से क्षुब्ध होकर चानमती विगत दस वर्षों से मुकदमेबाजी करके विवादित भूमि कब्जा करना चाहती है, इसके लिए उसके द्वारा राजस्व न्यायालय व्यवहार न्यायालय में भी मुकदमा दाखिल किया है। एक तथ्य यह भी बता दे कि दिनांक 12. 01. 15 को चानमती द्वारा एक बैनामा अपनी पतोहू पुष्पावती देवी के हक में कपटपूर्ण तरीके से आवास की भूमि कृषि भूमि दिखाकर की गई जिसमे उत्तर तरफ की जमीन प्रतिवादी नम्बर-1 की ही दिखाई है। वादीगण के द्वारा दिया गया मानचित्र असत्य सही मानचित्र पर उसमे दक्षिण तरफ चानमती अलीमुदीन, सजीबुल जुमाई नत्रहे जैकरन, प्रभूनाथ, सज्जाद के आदि के मकानात स्थित है जिसे वादिनीगण द्वारा जानबूझ कर नहीं दिखाया गया है। दावा हाजा कपटपूर्ण अभिकथनों पर दाखिल होने के कारण निरस्त होने योग्य है। दावे मे दिया गया मूल्यांकन कम होने के कारण दावा हाजा निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक अन्य दावा कुमारी बनाम चानमती वाद संख्या 882/14 श्रीमान के न्यायालय में दाखिल किया गया जो दिनांक 20. 02. 2024 को निरस्त कर दिया गया इसी तरह से दावा हाजा अन्तर्गत धारा 10 सी पी सी के प्राविधानों से वाधित है। दावा हाजा सवच्छ अभिकथनों पर आधारित न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। दावा हाजा विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। दावा हाजा निरस्त किया जाय। वादिनी ने हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिल्कुल असत्य कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया केस तथा सुविधा का सन्तुलन वादिनी के पक्ष में नहीं है बल्कि हम प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादिनी एक सरकस, मनबढ़ व मुकदमेबाज किस्म की महिला है वह मुकदमे के आड़ में हम प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के फिराक मे लगी है वरना वाद मे कोई सत्यता नहीं है। यदि वादिनी अपने मन्शा नाजायज मे सफल हो जाएगा तो हम प्रतिवादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी दशा में वादिनी का इम्तनाई प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6 ग सव्यय खारिज किया जाना आवश्यक है।

5. वादीगण की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 08 ग के माध्यम से खतौनी कागज संख्या-097/1 ता 97/3 चानमती, सुग्रीम, सोमनाथ व भोमनाथ के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-10 ग/1 ता 10 ग/ 4 दाखिल किए गए है।

6. प्रतिवादीगण की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 6 ग के माध्यम से खतौनी कागज संख्या-7 ग/1 ता 7 ग/4 शजरा कागज संख्या 8 ग, डाक रजिस्ट्री की छायाप्रति कागज संख्या 9 ग, कुमारी देवी के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या- 10 ग तथा सूची 17 ग के माध्यम से मौके की फोटो कागज संख्या 17 ग/

2 ता 17 ग /4 तथा सूची 20 ग से बैनामा की प्रति कागज संख्या 20 ग/2 ता 20 ग/13 आदेश खारिजी दिनांकित 20.02.2024 की छायाप्रति कागज संख्या 207/15 खतौनी कागज संख्या - 20 ग/16 ता 20 ग/ 18, मौके की फोटो कागज संख्या 20 ग/19 दाखिल किया गया है।

7. विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 14.08.2025 को प्रार्थनापत्र 6 ग निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध यह प्रकीर्ण अपील प्रोद्भूत हुई।

8. अपीलपत्र में अपीलार्थिनी ने अपील के जो आधार लिये हैं वे संक्षेपतः इस प्रकार हैं कि "प्रश्नगत आदेश दिनांक 14-08-2025 मनमाना आदेश है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्याधीन आदेश करने में स्वस्थ न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया तथा आदेश कर दिया गया क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय का यह अभिमत की वादीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या वाद नहीं है। मूलवाद में प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष द्वारा भूखण्ड के बंटवारे को अप्रत्यक्ष रूप से अपने नाम दश वर्ष पूर्व के विक्रय पत्र की पृथक चौहद्दी वर्णित कर स्वीकार किया गया है, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इन स्वीकृतियों को ध्यान में रख कर आदेश पारण नहीं किया गया। यदि प्रतिवादीगण प्रथमपक्ष/उत्तरवादातागण प्रथम पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय में यह कथन किया गया है कि मौके पर दक्षिण तरफ वादी चानमती, अलीमुद्दीन, सजीबुन, जुमाई, नन्हे, जैकरन, प्रभूनाथ आदि के मकानात हैं। उल्लेखनीय है कि इससे स्पष्ट है कि खातेदारों में बंटवारा हो चुका है परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गलत अभिमत किया गया कि खानगी बंटवारे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज अवर खण्ड फरेन्दा, जनपद महाराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-08-2025 अपास्त होने योग्य है। इस अपील व वाद के विषय वस्तु में उत्तरदातागण तृतीय पक्ष [वादीगण 2 से 4] का हित निहित है, चूंकि वर्तमान में वे उपलब्ध नहीं हैं अतः उन्हें औपचारिक रूप से उत्तरदातागण तृतीय पक्ष के रूप में क्रमबद्ध किया गया है। अतः प्रार्थना है कि सिविल जज प्रवर खण्ड महाराजगंज, जनपद महाराजगंज के न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 129/2024 [श्रीमती चानमती व अन्य प्रतिनाम श्रीमती कुमारी देवी व अन्या मे पारित आदेश दिनांक 14-08-2025 को अपास्त कर उक्त मूल वाद मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 6 ग स्वीकार करते हुए उत्तरदातागण प्रथम पक्ष को दौरान मुकदमा मना कर दिया जावे कि वे, वादीगण के राजस्व ग्राम मोगलहा, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील नौतनवा, पत्रालय भगीरथपुर, जनपद महाराजगंज में स्थित भूखण्ड संख्या 586 क्षेत्रफल 0.951 हेक्टेयर के 0.0949 हेक्टेयर, जिसे वाद पत्र के दृष्टि चित्र में अक्षर A, B, C, D, E, F से दिखाया गया है पर, कोई निर्माण कार्य न करें और न ही वादीगण के शांतिपूर्ण अध्यासन में कोई अवरोध उत्पन्न करें।"

9. प्रत्यर्थीगण 1, 2 व 3 पहले से ही कैवियेटर के रूप में हाजिर है। शेष प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी की कोई निजा नहीं है। प्रत्यर्थीगण 1, 2 व 3 की मौखिक

आपत्ति में कहा गया है कि "अपील विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध है। प्रत्यर्थी सं-1 ने ज़रिये बैनामा विवादित सम्पत्ति में एक अंश खरीदा है। वादीगण का दावा सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। वादिनी चानमती ही विपक्षी की सम्पत्ति पर कब्ज़ा करना चाहती है। यह दावा महज़ प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की गरज़ से किया गया है। अतएव अपील निरस्त की जाए।"

10. तदुपरान्त पत्रावली बहस के लिए नियत हुई। मैंने अपीलार्थिनी के व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना एवं समस्त प्रपत्रों का तथा मूल पत्रावली का परिशीलन किया।

11. अपील के निस्तारण के लिए हमें तीन बिन्दुओं पर विचार करना होगा। ये बिन्दु हैं—

- (1) क्या वादिनीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता हुआ प्रतीत हो रहा है?
- (2) क्या वादिनीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन है?
- (3) क्या वादिनीगण को व्यादेश न दिये जाने से अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है?

12. सुविधा की दृष्टि से हम आगे पक्षकारों को मूलवाद में उनकी प्रस्थिति के आधार पर वादिनी अथवा प्रतिवादिनी नाम से उद्धोधित करेंगे।

13. सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि क्या वादीगण अपना प्रथम दृष्ट्या केस साबित करने में सफल रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Martin Burn Ltd. v. R. N. Banerjee 1958 L.L.J. 247** में अवधारित किया है कि— A prima facie case does not mean a case proved to the hilt but a case which can be said to be established if the evidence which is led in support of the same were believed. While determining whether a prima facie case had been made out, the relevant consideration is whether on the evidence led it was possible to arrive at the conclusion in question and as to whether that was the only conclusion which could be arrived at on that evidence. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही **Gujarat Electricity Board, Gandhinagar v. Maheshkumar and Co., Ahmedabad (1995(5) SCC 545)** में अवधारित किया है कि—"Prima facie case" means that the Court should be satisfied that there is a serious question to be tried at the hearing, and there is a probability of Plaintiff obtaining the relief at the conclusion of the trial on the basis of the material placed before the Court. "Prima facie case" is a substantial question raised bona fide which needs investigation and a decision on merits. The Court, at the initial stage, cannot insist upon a full proof case warranting an eventual decree.

14. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण का मुख्यतः यह अभिकथन है कि विवादित सम्पत्ति में उनका हिस्सा 1/8 है और यह हिस्सा बँटवारे द्वारा अलग किया जा चुका है। प्रतिवादिनी संख्या 1 ने एक सहखातेदार से विवादित भूखण्ड का एक अंश खरीदा और अब वह वादीगण के हिस्से पर भी कब्ज़ा करना चाहती है। प्रतिवादीगण की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि विवादित सम्पत्ति में उनका हिस्सा 1/8 है और यह हिस्सा बँटवारे द्वारा अलग किया जा चुका है और प्रतिवादिनी संख्या-1 ने एक सह-खातेदार से विवादित भूखण्ड का एक अंश खरीदा है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिवादीगण को व्यदेशित किया जा सकता है?

15. यहाँ यह ध्यातव्य है कि विवादित सम्पत्ति मिनजुमला है और यह आराज़ी है, यानी कृषि भूमि है। विधि अनुसार आराज़ी का बँटवारा मौखिक या अपंजीकृत दस्तावेज़ के द्वारा नहीं किया जा सकता है। वादीगण के द्वारा बँटवारे का उल्लेख तो किया गया, किन्तु उसका कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य या ब्यौरा नहीं प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में बँटवारे के तथ्य को सुस्थापित नहीं माना जा सकता है। इसके बावजूद चूँकि विवादित सम्पत्ति में वादीगण के हिस्से पर और उनके अध्यासन पर प्रतिवादीगण ने भी प्रश्नचिह्न नहीं लगाये हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि वादीगण विवादित सम्पत्ति के एक हिस्से पर मालिक व काबिज़ हैं।

16. जहाँ तक प्रतिवादिनी सं.-1 की बात है तो उसने विवादित सम्पत्ति में अपना हिस्सा बैनामे से खरीदा है। किन्तु एक क्रेता को संयुक्त सम्पत्ति पर स्वामित्व व अध्यासन बँटवारा कराने के बाद ही मिल सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Ramdas v. Sitabai and others JT 2009 (8) SC 224** में प्रतिपादित किया है कि Without there being any physical formal partition of an undivided landed property, a co-sharer cannot put a vendee in possession although such a co-sharer may have a right to transfer his undivided share. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही **M.V.S. Manikayala Rao v. M. Narasimhaswami & Ors [AIR 1966 SC 470]** में विनिश्चित किया है कि Now, it is well settled that the purchaser of a co-parcener's undivided interest in the joint family property is not entitled to possession of what he had purchased. His only right is to sue for partition of the property and ask for allotment to him of that which, on partition, might be found to fall to the share of the co-parcener whose share he had purchased. ऐसी स्थिति में विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादिनी सं.1 का विधिक अध्यासन सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

17. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण अपना केस प्रथम दृष्ट्या साबित करने में सफल रहे हैं। विद्वान् विचारण न्यायालय का इस बाबत निष्कर्ष विधि एवं तर्क के अनुकूल नहीं माना जा सकता है।

18. दूसरा बिन्दु यह है कि क्या वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन है? माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **[Rajendra Prasad Agrawal and another vs. Samarpan Varishtha Jan Parisar and others, 2021(9) ADJ 647(LB)(Allid.H.C.)]** में प्रतिपादित किया है कि The word "balance of convenience" denotes that the Court must be satisfied that the comparative mischief and hardship which is likely to be caused to the person seeking injunction is more than the inconvenience likely to be caused to the other party by granting such injunction. चूँकि विवादित भूखण्ड में वादीगण पूर्व से रह रहे हैं और यदि उनके स्वामित्व या अध्यासन में हस्तक्षेप किया गया तो इसका अर्थ होगा किसी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति के उपभोग से रोका गया तो उन्हें आर्थिक व मानसिक क्षति कारित होगी। इसके विपरीत यदि प्रतिवादी को व्यादेश नहीं मिला तो उन्हें किसी प्रकार की क्षति कारित होती नहीं प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना भी प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं है। विद्वान् अवर न्यायालय ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकाल कर विधिक भूल कारित की है।

19. तीसरा बिन्दु यह है कि क्या वादीगण को व्यादेश न दिये जाने से अपूरणीय क्षति होने की संभावना है? इस सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त विधि व्यवस्था **[Rajendra Prasad Agrawal and another vs. Samarpan Varishtha Jan Parisar and others, 2021(9) ADJ 647(LB)(Allid.H.C.)]** में प्रतिपादित किया है कि The word "irreparable injury" on the other hand guides the Court to be satisfied that the refusal to grant injunction would result in such injury which cannot be compensated in terms of costs or otherwise and the person seeking injunction needs to be protected from the consequences of apprehended injury. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण प्रथम दृष्ट्या यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित भूखण्ड के एक अंश में उनका स्वत्व व अध्यासन है। इसके विपरीत प्रतिवादिनी सं.1 अविभाजित विवादित सम्पत्ति के एक अंश की क्रेता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वादीपक्ष को व्यादेश का अनुतोष नहीं प्रदान किया गया तो वह अपनी सम्पत्ति का वैध स्वामी व अध्यासी होने के बावजूद उसका उपभोग नहीं कर सकेगा, जिससे उसे ऐसी मानसिक या आर्थिक क्षति हो सकती है जिसकी संपूर्ति नहीं की जा सकती है। अतएव यह माना जा सकता है कि व्यादेश न मिलने से वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

20. अतएव उक्त आधारों पर वादीगण का प्रार्थना पत्र 6 ग स्वीकार होने योग्य था और विद्वान् अवर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र 6 ग अस्वीकृत कर विधि की गंभीर भूल

कारित की है। तदनुसार सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), फरेन्दा, महाराजगंज के द्वारा मूलवाद संख्या-129/2024 में पारित आदेश दिनांकित 14.08.2025 स्थिर रहने योग्य नहीं है।

21. उक्त आधार पर प्रकीर्ण सिविल अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

22. प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-51/2025 स्वीकार की जाती है। तदनुसार सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), फरेन्दा, महाराजगंज के द्वारा मूलवाद संख्या-129/2024 में पारित आदेश दिनांकित 14.08.2025 निरस्त किया जाता है।

23. तदनुसार वादीगण का प्रार्थना पत्र 6 ग स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी संख्या-1, 2 व 3 को आदेशित किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण तक वादीगण के राजस्व ग्राम मोगलहा, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील नौतनवा, पत्रालय भगीरथपुर, जनपद महाराजगंज में स्थित भूखण्ड संख्या-586 क्षेत्रफल 0.951 हेक्टेयर के 0.0949 हेक्टेयर, जिसे वाद पत्र के दृष्टि चित्र में अक्षर A, B, C, D, E, F से दिखाया गया है, पर कोई निर्माण कार्य न करें और न ही वादीगण के शांतिपूर्ण अध्यासन में कोई अवरोध उत्पन्न करें।

24. मूल अभिलेख सहित पत्रावली संबंधित अवर न्यायालय को वापस भेजी जाए।

दिनांक: 27.05.2026

(संजय मिश्र)
अपर ज़िला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01
महाराजगंज।
(JO Code: UP 6257)

25. आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 27.05.2026

(संजय मिश्र)
अपर ज़िला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01
महाराजगंज।
(JO Code: UP 6257)